

कृषि निदेशालय, बिहार

आओ संख्या-6/स्थाओस्थानाओ-35/15

/कृ०, पटना, दिनांक

, 2019

आदेश

बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा (कोटि-8) निरीक्षक माप एवं तौल संवर्ग में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए कंडिका-4 पर अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है। साथ ही कंडिका-2 में अंकित कार्यरत अथवा कंडिका-4 में नवपदस्थापित पदाधिकारियों को कंडिका-5 में अंकित पद का अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है:-

क्र० स०	नाम/पदनाम	गृह जिला	नव पदस्थापित स्थान	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5
1	श्रीमती वसुन्धरा भारती, केन्द्रीय प्रयोगशाला, मुख्यालय, पटना।	सारण	निरीक्षक, माप तौल, जहानाबाद	प्रक्षेत्रीय प्रयोगशाला, गया
2	श्री नरेन्द्र गुप्ता, निरीक्षक माप तौल, जहानाबाद	गया	केन्द्रीय प्रयोगशाला, माप तौल, पटना।	1. निरीक्षक, माप तौल, बिहारशरीफ अति० 2. क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पटना
3	श्री शत्रुज्य कुमार सिंह, निरीक्षक माप तौल, कटिहार अतिरिक्त	भोजपुर	—	निरीक्षक, माप तौल, कटिहार सदर
4	श्री इन्द्र किशोर लाल कर्ण, निरीक्षक, माप तौल, उदाकिशुनगंज	सीतामढ़ी	—	निरीक्षक, माप तौल, मधेपुरा
5	श्री अजय कुमार, निरीक्षक, माप तौल, शिवहर	पटना	—	निरीक्षक, माप तौल, पुपरी (सीतामढ़ी)
6	श्री पवन कुमार ओझा, निरीक्षक, माप तौल, दानापुर सदर	भोजपुर	—	निरीक्षक माप तौल, दानापुर अतिरिक्त

- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- सभी नियंत्री पदाधिकारी 07 दिनों के अंदर निश्चित रूप से स्थानान्तरित कर्मियों को नव पदस्थापन स्थान पर योगदान हेतु विरमित करेंगे अन्यथा दिनांक 15.07.2019 से स्वतः विरमित समझे जायगे। सभी स्थानान्तरित कर्मियों का जुलाई, 2019 माह का वेतन अपने नव पदस्थापन स्थान से प्राप्त करेंगे।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

कृ०, पटना, दिनांक- 2019

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि :- संयुक्त निदेशक-सह-नियंत्रक, माप एवं तौल/सभी उप निदेशक-सह-संयुक्त नियंत्रक, माप एवं तौल/सभी सहायक निदेशक-सह-उप नियंत्रक, माप एवं तौल/सभी सहायक नियंत्रक/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित निरीक्षक, माप एवं तौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 364

कृ०, पटना, दिनांक- 25/6, 2019

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, कृषि बिहार के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. आईटीओ मैनेजर, कृषि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।